

\* ई-मेल  
स्पीड पोस्ट/निबंधित  
डाक

पत्रांक-2ब०/ना०सु०-03-11/2014

142

/न०वि०एवंआ०वि०

## बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर परिषद्- डेहरी डालमियानगर एवं मोतिहारी।

पटना, दिनांक- 16/3/18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य के विभिन्न नगर निकायों में स्वीकृत बस स्टैंड निर्माण की योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में देनदारी की कुल राशि ₹263.51 लाख (दो करोड़ तिरसठ लाख एकावन हजार रु०) मात्र का सहायक अनुदान के रूप में राशि का आवंटन।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में नगर परिषद्, डेहरी डालमियानगर एवं मोतिहारी में राज्य योजनान्तर्गत नागरिक सुविधा मद से तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित योजना को स्तम्भ- 5 के सम्मुख अंकित राशि के अनुरूप स्वीकृति प्रदान करते हुए स्तम्भ- 6 के अनुरूप राशि अबतक आवंटित की जा चुकी है।

2. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, डेहरी डालमियानगर के पत्रांक- 192, दिनांक- 30.01.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विभागीय राज्यादेश सं०- 81, दिनांक- 28.02.2014 एवं आवंटनादेश सं०- 107, दिनांक- 28.02.2014 द्वारा स्वीकृत एवं आवंटित कुल ₹31.00 लाख (एकतीस लाख रु०) मात्र को विभागीय निदेश के आलोक में कोषागार में जमा कर दिया गया है तथा विभागीय राज्यादेश सं०- 103, दिनांक- 15.11.2015 एवं आवंटनादेश सं०- 120, दिनांक- 15.11.2015 द्वारा स्वीकृत एवं आवंटित कुल ₹200.00 लाख (दो करोड़ रु०) मात्र का व्यय हो चुका है। योजना के कार्यान्वयन हेतु अवशेष ₹95.00 लाख (पंचानवे लाख रु०) मात्र आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

3. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मोतिहारी के पत्रांक- 3412, दिनांक- 23.12.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विभागीय राज्यादेश सं०- 68, दिनांक- 19.11.2014 एवं आवंटनादेश सं०- 78, दिनांक- 19.11.2014 द्वारा स्वीकृत एवं आवंटित कुल ₹200.00 लाख (दो करोड़ रु०) मात्र तथा विभागीय राज्यादेश सं०- 81, दिनांक- 28.02.2014 एवं आवंटनादेश सं०- 107, दिनांक- 28.02.2014 द्वारा स्वीकृत एवं आवंटित कुल ₹31.00 लाख (एकतीस लाख रु०) मात्र का व्यय हो चुका है। योजना के कार्यान्वयन हेतु अवशेष ₹168.51 लाख (एक करोड़ अड़सठ लाख एकावन हजार रु०) मात्र आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

4. उक्त अनुरोध एवं विभागीय राज्यादेश सं०-141 दिनांक-16/2/18 के आलोक में तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में देनदारी की कुल अवशेष राशि ₹263.51 लाख (दो करोड़ तिरसठ लाख एकावन हजार रु०) मात्र तालिका के स्तम्भ- 8 के अनुरूप सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् आवंटित की जाती है :-

(राशि लाख में)							
क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	राज्यादेश/ आवंटनादेश एवं दिनांक	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में आवंटित राशि	व्यय की गई राशि	आवंटित कुल अवशेष राशि (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नगर परिषद्, डेहरी डालमियानगर	बस स्टैण्ड निर्माण हेतु।	103 / 15.11.15	295.00000	200.00000	200.00000	95.00000
			120 / 15.11.15		31.00000	0.00000	
योग (क)					231.00000	200.00000	95.00000
2	नगर परिषद्, मोतिहारी	बस स्टैण्ड निर्माण हेतु।	68 / 19.11.14	399.51000	200.00000	200.00000	168.51000
			78 / 19.11.14		31.00000	31.00000	
योग (ख)					231.00000	231.00000	168.51000
कुल योग (क+ख)					462.00000	431.00000	263.51000

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹263.51 लाख (दो करोड़ तिरसठ लाख एकावन हजार रु०) मात्र।

5. उक्त आवंटित ₹263.51 लाख (दो करोड़ तिरसठ लाख एकावन हजार रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, डेहरी डालमियानगर एवं मोतिहारी होंगे, जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.1998 एवं पत्रांक- 428, दिनांक- 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जाएगी। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, डेहरी डालमियानगर एवं मोतिहारी द्वारा राशि की निकासी कर बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से बुडको को हस्तांतरित कर दिया जायेगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

6. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार "सहायता अनुदान की



राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”

8. उक्त आवंटित राशि ₹263.51 लाख (दो करोड़ तिरसठ लाख एकावन हजार रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 192-नगर पालिकाओं नगर परिषद् को सहायता, उप शीर्ष- 0105-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217031920105, विषय शीर्ष- 0105.31.05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

9. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वय का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

10. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

11. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बुडको एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

15.3.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/ना०सु०-03-11/2014 142 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-16/2/18

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बुडको/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.3.18

सरकार के विशेष सचिव।

\* ई-मेल  
स्पीड पोस्ट/निबंधित  
डाक

## बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

\* अनौपचारिक  
रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०),  
बिहार, पटना।

\*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- 16/03/18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य के विभिन्न नगर निकायों में स्वीकृत बस स्टैंड निर्माण की योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में देनदारी की कुल राशि ₹263.51 लाख (दो करोड़ तिरसठ लाख एकावन हजार रु०) मात्र की सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में नगर परिषद, डेहरी डालमियानगर एवं मोतिहारी में राज्य योजनान्तर्गत नागरिक सुविधा मद से तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित योजना को स्तम्भ- 5 के सम्मुख अंकित राशि के अनुरूप स्वीकृति प्रदान करते हुए स्तम्भ- 6 के अनुरूप राशि अबतक आवंटित की जा चुकी है।

2. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, डेहरी डालमियानगर के पत्रांक- 192, दिनांक- 30.01.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विभागीय राज्यादेश सं०- 81, दिनांक- 28.02.2014 एवं आवंटनादेश सं०- 107, दिनांक- 28.02.2014 द्वारा स्वीकृत एवं आवंटित कुल ₹31.00 लाख (एकतीस लाख रु०) मात्र को विभागीय निदेश के आलोक में कोषागार में जमा कर दिया गया है तथा विभागीय राज्यादेश सं०- 103, दिनांक- 15.11.2015 एवं आवंटनादेश सं०- 120, दिनांक- 15.11.2015 द्वारा स्वीकृत एवं आवंटित कुल ₹200.00 लाख (दो करोड़ रु०) मात्र का व्यय हो चुका है। योजना के कार्यान्वयन हेतु अवशेष ₹95.00 लाख (पंचानवे लाख रु०) मात्र आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

3. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मोतिहारी के पत्रांक- 3412, दिनांक- 23.12.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विभागीय राज्यादेश सं०- 68, दिनांक- 19.11.2014 एवं आवंटनादेश सं०- 78, दिनांक- 19.11.2014 द्वारा स्वीकृत एवं आवंटित कुल ₹200.00 लाख (दो करोड़ रु०) मात्र तथा विभागीय राज्यादेश सं०- 81, दिनांक- 28.02.2014 एवं आवंटनादेश सं०- 107, दिनांक- 28.02.2014 द्वारा स्वीकृत एवं आवंटित कुल ₹31.00 लाख (एकतीस लाख रु०) मात्र का व्यय हो चुका है। योजना के कार्यान्वयन हेतु अवशेष ₹168.51 लाख (एक करोड़ अड़सठ लाख एकावन हजार रु०) मात्र आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

4. उक्त अनुरोध के आलोक में तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में देनदारी की कुल अवशेष राशि ₹263.51 लाख (दो करोड़ तिरसठ लाख एकावन हजार रु०) मात्र तालिका के स्तम्भ- 8 के अनुरूप सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् स्वीकृत की जाती है :-

(राशि लाख में)							
क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	राज्यादेश/ आवंटनादेश एवं दिनांक	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में स्वीकृत राशि	व्यय की गई राशि	स्वीकृत कुल अवशेष राशि (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नगर परिषद्, डेहरी डालमियानगर	बस स्टैण्ड निर्माण हेतु।	103/15.11.15	295.00000	200.00000	200.00000	95.00000
			120/15.11.15		31.00000	0.00000	
योग (क)					231.00000	200.00000	95.00000
2	नगर परिषद्, मोतिहारी	बस स्टैण्ड निर्माण हेतु।	68/19.11.14	399.51000	200.00000	200.00000	168.51000
			78/19.11.14		31.00000	31.00000	
योग (ख)					231.00000	231.00000	168.51000
कुल योग (क+ख)					462.00000	431.00000	263.51000

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹263.51 लाख (दो करोड़ तिरसठ लाख एकावन हजार रु०) मात्र।

*इसके लिए अलग से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।*

5. उक्त स्वीकृत ₹263.51 लाख (दो करोड़ तिरसठ लाख एकावन हजार रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, डेहरी डालमियानगर एवं मोतिहारी होंगे, जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.1998 एवं पत्रांक- 428, दिनांक- 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जाएगी। *कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, डेहरी डालमियानगर एवं मोतिहारी द्वारा राशि की निकासी कर बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से बुडको को हस्तांतरित कर दिया जायेगा।* राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

6. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार "सहायता अनुदान की

राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”

8. उक्त स्वीकृत राशि ₹263.51 लाख (दो करोड़ तिरसठ लाख एकावन हजार रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 192-नगर पालिकाओं नगर परिषद् को सहायता, उप शीर्ष- 0105-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217031920105, विषय शीर्ष- 0105.31.05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

9. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वय का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

10. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

11. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/ना०सु०-03-11/2014 के पृष्ठ सं०- .....135...../टि० पर दिनांक- 12.03.2018 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०- 136...../टि० पर दिनांक- 14.03.2018 को प्राप्त है।

12. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

13. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, डेहरी डालमियानगर एवं मोतिहारी/प्रबंध निदेशक, बुडको एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/ना०सु०-03-11/2014 14 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 16/3/18

प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, डेहरी डालमियानगर एवं मोतिहारी/प्रबंध निदेशक, बुडको/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।